समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 18-05-2015 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

बैठक से निम्नांकित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये, जिसकी विवरणी निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	अनुपस्थिति का कारण
1	अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा	
2	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा	स्थानांतरण हो गया है।
3	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
4	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	अवकाश में।
5	कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज	अवकाश में।
7	वरीय परि0 अभि0 बिहार राज्य पुल निर्माण निगम	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, साक्षरता, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
10	उप महाप्रबंधक (तक0) बि0 स्टेट रोड डे0कॉ0लि0, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
11	सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारण पृच्छा किया जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

(3) कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

(4) अंकेक्षण

(क) उदाकिशुनंगज प्रखण्ड का अंकेक्षण :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उदाकिशुनगंज प्रखण्ड कार्यालय का अंकेक्षण किया जा रहा है, जिसमें पूर्व नाजीर श्री सत्यप्रिय कुमार, जो वर्तमान में जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय, मधेपुरा में प्रतिनियुक्ति है, उनके द्वारा अभी तक नाजीर रोकड़ बही का मिलान नहीं करवाया गया है, जिसके कारण अंकेक्षण कार्य में कठिनाई हो रही है। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि उक्त कर्मी को तत्काल पांच दिनों के लिए प्रखण्ड कार्यालय, उदाकिशुनंगज में प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश अपने स्तर से निर्गत कर दें तथा उन्हें निदेशित करें कि अविलम्ब रोकड़ पंजी का मिलान कर हस्तानांतरण कर दें। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि किसी भी

विभाग का अंकेक्षण किया जा रहा हो, तो वे अंकेक्षक दल को आवश्यक सहयोग प्रदान सुनिश्चित करेंगे, ताकि अंकेक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सके।

(अनुपालन–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज /कार्यालय अधीक्षक, समाहरणालय, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)

(ख) डी0आर0डी0ए0 :– जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि डी0आर0डी0ए0 में अंकेक्षण करने वाले अंकेक्षण दल, जो डी0आर0डी0ए0 के कर्मी का राज होटल में रहते हैं तथा वहीं से ही वे अंकेक्षण का कार्य करते हैं, जो उचित नहीं है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया अंकेक्षण दल हेतु डी0आर0डी0ए0 परिसर में ही कमरा आवंटित कर दिया जाए, ताकि वे आसानी से अंकेक्षण का कार्य कर सकें, किसी भी हालत में कर्मी के होटल में नहीं ठहरे, इसे सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

(5) आई0टी0 सहायक/कार्यपालक सहायक का अनिश्चितकालीन हड़ताल

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना के पत्रांक–425, दिनांक– 08–05–2015 द्वारा दिनांक 11–05–2015 से 25–05–2015 तक आई0टी0 सहायक एवं कार्यपालक सहायक के प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल के आलोक में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :–

- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम काउंटर के संचालन हेतु अनिवार्य रूप से संबंधित कार्यालय के नियमित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित की जाए।
- अधिकार सॉफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर से संबंधित अन्य कार्यो के संचालन हेतु कार्यालय में उपलब्ध अन्य कम्प्यूटर ऑपरेटर से कार्य लिया जाए।
- वसुधा केन्द्र के माध्यम से आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा इसका वितरण संबंधित वसुधा केन्द्र संचालक के माध्यम से किया जाए। सभी वसुधा केन्द्र संचालक को अधिकार सॉफ्टवेयर से संबंधित पासवर्ड तथा यूजर आई0डी0 उपलब्ध कराया जा चुका है।
- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम से संबंधित डाटा बैंक अप संधारण हेतु सभी कार्यालय को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राईव उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में इसका संधारण आई0टी0 प्रबंधक /आई0टी0 सहायक /कार्यपालक सहायक के द्वारा किया जा रहा है। हड़ताल होने की स्थिति में अनिवार्य रूप से दिनांक 22–05–2015 अप0 05:00 बजे तक यह हार्ड डिस्क प्राप्त कर कार्यालय में संधारित कर लिया जाए अथवा जिला स्तर पर एन0आई0सी0 को उपलब्ध करा दिया जाए।
- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या का समाधान एन0आई0सी0 के सहयोग से किया जाए।
- आवश्यकता पड़ने पर आर0टी0पी0एस0 सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को मैनुअली निष्पादित करने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पावती तथा प्रमाण–पत्र की व्यवस्था कर ली जाए।
- हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनकी सूची बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को उपलब्ध करायी जाए। सभी कर्मियों को स्पष्ट कर दिया जाए कि हड़ताल होने की स्थिति में मिशन कार्यालय द्वारा संबंधित कर्मियों को लोक सेवाओं का अधिकार

अधिनियम से संबंधित सेवाओं को बाधित करने के प्रयास का दोषी मानते हुए तनदुरूप अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

आई0टी0 प्रबंधक, समाहरणालय, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि हड़ताल में जाने वाले सभी कार्यपालक सहायक /आई0टी0 सहायक की सूची तैयार कर लें तथा कौन प्रखण्ड में कौन ऑपरेटर को संबंधित कार्यपालक सहायक का प्रभार देना है, उसकी विस्तृत सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करावें। साथ ही अपना सम्पूर्ण प्रभार जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को दें। हरहाल में यह सुनिश्चित किया जाए कि हड़ताल के कारण लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन बाधित न हो। साथ ही आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि हड़ताल अवधि में भी वे मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि आई0टी0 मैनेजर के हड़ताल में जाने के उपरान्त आर0टी0पी0एस0 के सम्पूर्ण कार्यो का पर्यवेक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन बाधित न हो, इसे सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–आई0टी0 मेनेजर, मधेपुरा /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अनुमण्डल पदाधिकारी /जिला अवर निबंधक /जिला परिवहन पदाधिकारी /पुलिस अधीक्षक /सभी संबंधित पदा0)

(6) आपदा

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1463, दिनांक–22-04-2015 द्वारा संभावित बाढ़ 2015 के संबंध में आवश्यक तैयारी हेतु दिनांक 20-04-2015 को की गई बैठक की कार्यवाही उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें विस्तृत दिशा–निर्देश दिया गया है। निदेश दिया गया कि विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया के तहत् यथानिदेशित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आज दिनांक 18-05-2015 को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (टास्क फोर्स) की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी आवश्यक तैयारी के संबंध में विचार–विमर्श किया जाएगा।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)

(7) सामाजिक सुरक्षा कोषांग

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक–581, दिनांक– 11-04-2015 द्वारा जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है तथा कई बार स्मार पत्र विभाग द्वारा भेजा गया है। सहायक निदेशक को निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब भेजी जाए। बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि उक्त मामला मधेपुरा जिला में लंबित नहीं है।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा)

(8) कृषि

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त, पटना का पत्रांक–1940, दिनांक–21-04-2015 द्वारा ओलावृष्टि के साथ अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों की सूची जिला के वेबसाईट पर डालने हेतु निदेशित किया गया है। अपर समाहर्त्ता, आपदा, जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से

अवगत करावें। साथ ही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त सूची को जिले के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- अपर समाहर्त्ता, आपदा, जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी)

(9) पशुपालन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक-1170, दिनांक- 20-04-2015 द्वारा पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की अद्यतन बैठक करने एवं आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि विभाग द्वारा इस संबंध में अनेको स्मार पत्र दिये गये हैं, जो खेद का विषय है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी की अद्यतन बैठक कराने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा)

(10) योजना :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-3780 (3) दिनांक 30-04-2015 द्वारा पथों पर बने अवैध गति अवरोधक (Speed Breaker) को हटाने का निदेश दिया गया है। यह भी बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि अवैध रूप से अगर पथ कर की वसूली किसी के द्वारा की जा रही हो, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मुकदमा दायर किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से पृच्छा किया गया कि इस संबंध में क्या-क्या कार्रवाई की गयी है, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। यह भी निदेशित किया गया कि जहां-जहां विद्यालय है तथा अत्यधिक लोगों का आना-जाना होता है, उस जगह पथ पर गति अवरोधक बनाया जा सकता है।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1929, दिनांक- 22-04-2015 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सोलर लाईट के अधिष्ठापन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है। सभी अंचलाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि सोलर लाईट के अधिष्ठापन में विभागीय निदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3946 (एस), दिनांक- 08-05-2015 द्वारा सी0डब्लू0 जे0सी0 सं0- 5739/ 2015 श्री विनोद कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु स्पीड ब्रेकेर्स हटाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी अभियंतागण, मधेपुरा जिला से अनुरोध है कि पत्र में निहित निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला योजना पदाधिकारी /सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता /सभी संबंधित पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /उप विकास आयुक्त)

(11) सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के अवर सचिव, गृह (विशेष) विभाग, पटना के पत्रांक-2290, दिनांक- 26-02-2015 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी का जिला स्तर पर कार्यालय /प्रशिक्षण केन्द्र /बैरक /आवासीय भवन /भण्डार आदि हेतु सरकारी भूमि (पुराना कारा सहित) के हस्तांतरण अथवा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि मधेपुरा अथवा आस-पास में जो भी सरकारी जमीन खाली पड़े हुए है, उसका प्रस्ताव अविलम्ब भेजना सुनिश्चित किया जाए, ताकि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य /जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा)

(12) भू-अर्जन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4053, दिनांक- 28-04-2015 द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0 खाता) से चेक के माध्यम से निकासी की गयी अग्रिम राशि का व्यय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा तथा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभागीय निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी /अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा)

(13) विद्युत :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लि0, पटना के पत्रांक- 85, दिनांक- 02-04-2015 द्वारा विद्युत कार्यालय अन्तर्गत कार्यपालक सहायकों की आवश्यकता को देखते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कार्यपालक सहायक के चयन हेतु नियमानुसार अविलम्ब कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि श्रम विभाग अन्तर्गत निर्धारित दर पर तत्काल कम्प्युटर ऑपरेटर को रख कर विद्युत कार्यालय के कार्यो का निष्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत)

(14) कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-737, दिनांक- 23-03-2015 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न छात्रवृति से वंचित छात्र /छात्राओं की संख्या एवं आवश्यक राशि के संबंध में विस्तृत निदेश दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पत्र में वर्णित निदेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आये दिन जिले से बाहर पढ़ने वाले वैसे छात्र जिनको छात्रवृति की राशि प्राप्त नहीं हुई है, उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल पर बराबर फोन किया जाता है। जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को

निदेशित किया गया कि अभी तक कितने छात्रों को छात्रवृति का भुगतान किया गया है तथा कितने को करना का है, का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, किसी भी हालत में एक भी मामला लंबित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित मामला अभी तक लंबित है, जो खेद का विषय है। बताया गया कि प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा इस संबंध में बराबर निदेशित किया जाता रहा है, अतएव निदेश दिया गया कि कैशबूक तथा कार्यालय कॉपी से मिलान कर अविलम्ब उक्त मामला का निपटारा करें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन- जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा)

(15) प्रेस कतरन

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 06-05-2015 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में छपी खबर "पौने दो साल में भी नहीं बन पायी 9 किलोमीटर सड़क" जो खुरहान-ग्वालपाड़ा और मधैली-चंदसारा रोड निर्माण का काम अधर में, काम की धीमी रफतार से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है, की समीक्षा की गयी, किन्तु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज बैठक से अनुपस्थित पाये गये। निदेश दिया जाता है कि प्रेस कतरन में छपी खबर के आलोक में जांच-पड़ताल कर नियमानुसार अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत करावें।

इसी प्रकार दिनांक 22-04-2015 को दैनिक जागरण में छपी खबर "आज भी हरे हैं कोसी त्रासदी के जख्म" के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त पथ की जांच-पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा अन्तर्गत जितने भी कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं, उन सभी पूर्ण कार्य का फोटोग्राफी एलबम में संधारित कर अधोहस्ताक्षरी को तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज /मधेपुरा)

(16) कोशी पुनर्वास

जिलाधिकारी द्वारा कोशी पुनर्वास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मकानों की समीक्षा के क्रम में डी0पी0एम0, कोशी पुनर्वास द्वारा बताया गया कि घर बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा कुछ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा उक्त कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत घरों का निर्माण ससमय कराना सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार का अनावश्यक विलम्ब नहीं हो, इसे हरहाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

(अनुपालन- डी0पी0एम0, कोशी पुनर्वास /जिला योजना पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा)

(17) GPF Missing Contribution Report

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark
1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55+10	53+4	2+6
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के अधीन (उच्च एवं मध्य विद्यालय, के कुल-11)	46+2+3	34	12+1+2
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010)**	1+1	0	1+1
4	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
5	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4+2	1	3+2
6	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2
7	कार्यपालक अभियंता, भवन प्र0,मधेपुरा **(BUI001)**	2	0	2
8	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा **(RUR015)**	6+3	0	6+3

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। यह भी बताया गया कि इस संबंध में निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेद का विषय है।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(18) जिला स्तरीय पदाधिकारियों का वर्ष 2015 में उपभोग किये गये आकस्मिक अवकाश संबंधी विवरणी

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों का वर्ष 2015 में उपभोग किये गये आकस्मिक अवकाश संबंधी विवरणी तैयार की गयी है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम /पदनाम	कुल उपभोग की गई छुट्टी	अवशेष छुट्टी
1	श्री अबरार अहमद कमर, अपर समार्त्ता, मधेपुरा	05	11
2	श्री मिथिलेश कुमार, उप विकास आयुक्त	02	14
3	श्री कन्हैया प्रसाद, अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा	07	09
4	मो0 खुर्शीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा	14	02
5	श्री प्रदीप कुमार झा, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	03	13
6	श्री शंभू प्रसाद सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	04	12
7	श्री अनुराग कुमार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	05	11
8	श्री विनय कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	01	15
9	मो0 जावेद अंसारी, जिला अवर निबंधक, मधेपुरा	03	13
10	श्री राकेश कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा	03	13
11	श्री रामजी साह, जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा	08	08
12	श्री आर0एल0 सत्यार्थी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा	02	14
13	सुश्री मोनालिशा, आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	02	14
14	श्री लखिन्द्र पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा	06	10
15	श्री अनिल कुमार रमण, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	03	13
16	श्री शशिकान्त प्रकाश, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा	03	13
17	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	04	12

18	श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	05	11
19	श्री संजय कुमार सिन्हा, जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	03	13
20	श्री केशव झा, अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा	06	10
21	श्री सुबोध कुमार, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	08	08
22	श्री संजय कुमार, परि0 प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा	03	13
23	श्री अरूण कुमार यादव, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा	01	15
24	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा	04	12

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अवकाश में जाने वाले सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों का अवकाश संबंधित पंजी में ससमय संधारित किया जाए, इसे हरहाल में सुनिश्चित करावें।

(अनुपालन-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा)

(19) एन0एच0आर0सी0 /एस0एच0आर0सी0 /सी0डब्लू0जे0सी0 /एम0जे0सी0

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाल श्रम से संबंधित एक मामलें में अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में उपस्थित होने का निदेश दिया गया है। बताया गया कि पूर्व में तत्कालीन श्रम अधीक्षक द्वारा उक्त कार्य में अभिरूची नहीं लिये जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जिस-जिस कार्यालय अन्तर्गत एन0एच0आर0सी0 /एस0एच0आर0सी0 /सी0डब्लू0जे0सी0 /एम0जे0सी0 आदि का मामला लंबित है, उसे ससमय निष्पादित करा दिया जाए, किसी भी हालत में जिलाधिकारी का पर्सनल एपियरेन्स नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रपत्र-'क' गठित कर विभाग को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जिलान्तर्गत कितने बाल श्रमों की संख्या है तथा किस-किस प्रखण्ड में है, उसकी विवरणी उपलब्ध करायी जाए, ताकि वहां विद्यालय खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। साथ ही कितने का सर्वे किया गया है, उसकी भी सूची उपलब्ध करायी जाए।

(अनुपालन-श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(20) निर्वाचन :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सितम्बर /अक्टूबर में निर्वाचन कराने संबंधी सूचना संसूचित की गयी है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि निर्वाचन संबंधी सभी आवश्यक तैयारी कर लिया जाए। यह भी बताया गया कि मतदाताओं का नाम जुड़वाने, हटाने तथा संशोधन संबंधी जो भी कार्य प्रारंभ है, उसको विधिवत् ससमय सम्पादित कर लिया जाए तथा संबंधित बी0एल0ओ0 को भेज कर इसकी जांच करवा लिया जाए। ईपिक का डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिवेदन भी उपलब्ध करावें। यह भी निदेशित किया गया कि उक्त कार्य में अपेक्षित सहयोग हेतु प्रखण्डों के प्रभारी पदाधिकारी को लगाया जा सकता है।

(अनुपालन-उप निर्वाचन पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(21) कोषागार

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा Dated 01-10-2009 to 31-03-2015 का ए0सी0 बिल, जो समायोजन नहीं हुआ है, की विस्तृत विवरणी उपलब्ध करायी गयी है, जिसे विभागवार समेकित किया गया है, जो निम्नवत् है :-

Sl. No	Name of the DDO	AC Bill Amount (In Rs.)	गत सप्ताह तक समायोजित राशि	वर्तमान सप्ताह में समायोजित राशि	कुल समायोजित राशि	शेष राशि

1	उप विकास आयुक्त (सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)	43,42,15,325	0	0	0	43,42,15,325
2	अपर समाहर्त्ता (सभी अंचलाधिकारी)	13,33,79,802	1,83,200	16,800	16800	13,31,79,802
3	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 (सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	19,59,55,742	0	0	0	19,59,55,742
4	जिला शिक्षा पदाधिकारी (सभी विद्यालय प्रधानाध्यापक)	1,61,41,800	0	0	0	1,61,41,800
5	अन्य	1,41,63,83,376	0	0	0	1,41,63,83,376
कुल योग –		**2196076045**	**1,83,200**	**16,800**	**16,800**	**2,19,58,76,045**

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से पाया गया कि मात्र अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा मो0 16,800/- रू0 का समायोजन किया गया है, जबकि अन्य पदाधिकारियों द्वारा अभी तक लंबित ए0सी0 बिल की राशि का समायोजन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बहुत बड़ी संख्या में राशि समायोजन हेतु लंबित पड़ी है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। इसके साथ-साथ जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों के पास भी बड़े पैमाने पर ए0सी0 बिल की राशि समायोजन हेतु लंबित है। बताया गया कि विभागवार सूची जिले के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ए0सी0 बिल की राशि की समीक्षा मुख्य सचिव महोदय द्वारा बराबर की जाती है, फलस्वरूप सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि अपने-अपने विभाग का लंबित ए0सी0 बिल की राशि को समायोजन कराने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अगली बैठक में अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कोषागार पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(22) ई0-किसान भवन / भवन प्रमण्डल

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ई0 किसान भवन को पूर्ण कराकर हस्तानांतरण कराने हेतु पूर्व में कई बार निदेशित किया जा चुका है, किन्तु जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा द्वारा इस ओर कोई अभिरूची नहीं ली जा रही है, जो खेद का विषय है। बताया गया कि घैलाढ़ में निर्मित ई0 किसान भवन की स्थिति काफी दयनीय है। निदेश दिया गया कि ई0-किसान भवन के निर्माण हेतु जो भी निदेश दिये गये थे अर्थात क्या-क्या बनाना था, क्या-क्या बनाया गया है आदि से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन फोटो एलबम सहित अगली सोमवारीय बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में उपस्थित अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उत्पाद विभाग का भवन अभी तक हस्तानांतरण नहीं किया गया है, जबकि अभी भी भवन में कुछ कार्य बांकी है, जिसे कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा से कराने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त कार्य को अविलम्ब पूर्ण करावें अन्यथा संबंधित संवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करें।

समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा का मकान विगत सप्ताह आये चक्रवातीय तूफान में पेड़ गिरने से मकान का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त भवन की मरम्मति नियमानुसार करायी जाए।

(अनुपालन-जिला अभियंता,जिला परिषद् /कार्य0अभियंता, भवन /जिला भविष्य निधि पदा0)

(23) सांसद आदर्श ग्राम योजना

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम विकास योजना के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। बताया गया कि उप विकास आयुक्त को इस सबंध में रांची स्थित संस्थान में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को ''ग्राम विकास योजना'' के विहित प्रपत्र में तैयार कर उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को दिनांक 20-05-2015 से पूर्व अवश्य उपलब्ध कराएं, ताकि इसे भारत सरकार को मेल किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अगले सोमवार को साप्ताहिक बैठक के उपरान्त सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत सभी विभागों के गतिविधियों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(24) राजस्व /सांख्यिकी :-

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-77/रा0, दिनांक- 08-05-2015 द्वारा कृषि गणना 2010-11 के तीसरे चरण का क्षेत्रीय कार्य दिनांक 30-03-2015 तक सम्पन्न किया जाना था, किन्तु उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है तथा एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशि किया गया कि उक्त सर्वेक्षण कार्य को अविलम्ब पूर्ण कराया जाए तथा विभागीय निदेश के आलो कमें वांछित अनुसूचियाँ प्रशासी विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा)

(25) जनशिकायत

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि सभी कार्यालयों में जनशिकायत के मामले अत्यधिक लंबित है, जिससे संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनशिकायत के बहुत से मामलें विभिन्न विभागों में अभी भी लंबित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जांच हेतु लंबित जनशिकायतों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- सभी संबंधित पदाधिकारी)

(26) आर0टी0पी0एस0

जिलाधिकारी द्वारा आर0टी0पी0एस0 **के प्रतिवेदन** का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ग्वालपाड़ा प्रखण्ड में-44, उदाकिशुनगंज-101 तथा आलमनगर 485 मामले Expire दिखाये गये हैं, जो खेद का विषय है। उक्त प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 का अवश्य निरीक्षण किया जाए तथा लंबित मामलों का निष्पादन किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे इसका निष्पादन शीघ्र करावें तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी /नोडल पदा0, आर0टी0पी0एस0)

(27) राईट-अप

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा तथा वाणिज्यकर उपायुक्त (प्रभारी), मधेपुरा अंचल, मधेपुरा द्वारा बैठक /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित किया गया है, जो अच्छी बात है, परन्तु अभी भी बहुत सारे पदाधिकारियों द्वारा बैठक में

भाग लेने के उपरान्त राईट-अप समर्पित नहीं किया जाता है। पुनः सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जैसे ही वे राज्य स्तरीय बैठक /कार्यशाला /सेमिनार में भाग लेने के उपरान्त मुख्यालय वापस लौटे, तत्पश्चात् एक संक्षिप्त **राईट-अप** अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, जिससे यह पता चल सके कि विभाग द्वारा क्या-क्या निदेश दिये गये हैं।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

(28) अन्यान्य

(क) कमिटी के नोडल पदाधिकारी :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा कई कमिटी के नोडल पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं। बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, आपदा से अनुरोध किया गया कि जो भी कार्य /कमिटी के नोडल पदाधिकारी प्राधिकृत किए गए है, उन सभी कार्यो को ससमय पूर्ण किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-अपर समाहर्त्ता, आपदा)

(ख) शिक्षा :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दैनिक समाचार पत्र में इस आशय का खबर प्रकाशित हुआ कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा का वेतन अवरूद्ध कर दिया गया है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। निदेशित किया गया कि शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी होने के नाते सभी कार्यो को ससमय पूर्ण करावें तथा शिक्षा विभाग अन्तर्गत किसी भी प्रकार का गलत /फर्जी कार्य नहीं हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। यह भी बताया गया कि गम्हरिया प्रखण्ड अन्तर्गत एक शिक्षक के विरूद्ध शिकायत पाये जाने के फलस्वरूप कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया था, किन्तु आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जो खेद का विषय है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उक्त शिक्षक से संबंधित संचिका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा के पास है तथा उन्हें ही संचिका बढ़ाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त शिक्षक से संबंधित संचिका आज संध्या तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाए, अन्यथा दोषी पदाधिकारी /कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदा0/, मधेपुरा / जिला कार्यक्रम पदा0, स्थापना, शिक्षा, मधेपुरा)

(ग) महिन्द्रा कम्पनी :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री बालासुब्रह्मनियम बी0, वरीय अभियंता, महिन्द्रा कन्सलटिंग अभियंता लि0, चेन्नई द्वारा "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय" (बालिका शौचालय) के तहत् जमीन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा)

(ड) भूकम्प पीड़ितों के लिए राहत की व्यवस्था :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 25, 26 एवं 27 अप्रैल, 2015 को नेपाल में आये भयंकर भूकम्प के कारण काफी संख्या में जान-माल की क्षति हुई है तथा पीड़ित लोगों के लिए सभी जगह से कुछ न कुछ राहत सामग्री अथवा राशि भेजी जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि यदि किन्ही पदाधिकारी को नेपाल में भूकम्प पीड़ितों के लिए राहत आदि देना चाहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि दे सकते हैं अथवा चेक भी दिया जा सकता है। उक्त कार्य में

अपेक्षित सहयोग हेतु श्री नरेन्द्र कुमार, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया।

(अनुपालन- सभी संबंधित पदाधिकारी /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

(च) चक्रवातीय तूफान में हिले वृक्ष की कटाई /छटाई :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21-04-2015 को चक्रवातीय तूफान में कई बड़े-बड़े पेड़ गिर गये तथा हिल गये हैं, जो भी गिर सकते हैं। वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जगजीवन आश्रम से सर्किट हाउस जाने वाले रोड में दो बड़े पेर हिल गये हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, उन्हें कटाने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही सड़क में जो भी पेड़ की टहनियॉ इधर-उधर बिखड़ी हुई हो, उसकी छटाई भी किया जाए।

(अनुपालन- वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा)

(छ) परिवहन :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आये दिन बस स्टैण्ड चौक /समाहरणालय मुख्य द्वार के पास बड़ी-बड़ी बसों को सड़क के दोनों किनारे लगा कर यात्रियों को चढ़ाया-उतारा जाता है, जिसके कारण सड़क जाम हो जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में जांच-पड़ताल कर संबंधित बस वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली तथा बसों को बस स्टैण्ड में ही लगाने हेतु निदेशित करें।

(अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा)

(ज) सड़क के आस-पास ठेला /दुकान लगाना :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बस स्टैण्ड के आस-पास सड़क के दोनों किनारे दुकानदारों द्वारा छोटे-छोटे दुकान लगाकर अनावश्यक भीड़ /जाम की स्थिति उत्पन्न किया जाता है। इसके साथ-साथ कर्पूरी चौक से पुरानी कचहरी मेन रोड में भी सड़क के किनारे दोनों तरफ ठेला /दुकान लगा देने के कारण जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा तथा अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि अपने स्तर से जांच-पड़ताल कर मुख्य सड़क के आस-पास जो भी ठेला /दुकान लगे हैं, उसे नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन- अनुमण्डल पदाधिकारी /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

19/5/15	19/05/15	19/05/15
निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	जिलाधिकारी मधेपुरा।

Khalid 19/05/15 C.Operator

ज्ञापांक 1403 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 19/05/2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक

पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमण्डल, कोपरिया /औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Khalid 19/05/15 C.operator

19/5/15
निजी सहायक
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा।

19/05/15
प्रभारी पदाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा

19/05/15
जिलाधिकारी
मधेपुरा।